न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3872–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–10–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर जिला धार प्रकरण कमांक 01/पुनर्विलोकन/14–15.

1– राजाराम पिता ऊंकार
2– संजय पिता शंकर
3– कृष्णा पिता बाल्या
4– मोहन पिता बाल्या
5– सीताराम पिता लालचंद मृत तर्फे वारिसान–
(अ) गणेश पिता सीताराम
6– परमानन्द पिता भीका पाटीदार
7– रमेश पिता ठाकुर लाल पाटीदार
8– गणेश पिता ठाकुर लाल पाटीदार
9– राजेन्द्र पिता ठाकुर लाल पाटीदार
10– जगदीश पिता बाबूलाल पाटीदार
11– राधेश्याम पिता पुन्या पाटीदार
12– शोभाराम पिता पुन्या पाटीदार
13– भगवान पिता पुन्या पाटीदार
14– आशाराम पिता पुन्या पाटीदार
15– श्रीमती सुलभाबाई पति श्रीकृष्ण पाटीदार
16– महोदव पिता कन्हैयालाल पाटीदार
17– शंकर पिता कन्हैयालाल पाटीदार
18– शिवशंकर पिता रखडूजी पाटीदार
19– गौरीशंकर पिता रखडूजी पाटीदार
20– पुनमचन्द पिता नारायण पाटीदार
21– देवीलाल पिता दयाराम पाटीदार
22– चम्पालाल पिता ठाकुरलाल पाटीदार मृत तर्फे वारिसान–
(अ) कैलाश पिता चम्पालाल
23– भारतसिंह पिता सौदानसिंह राजपूत
24– रामेशवर पिता नत्थू पाटीदार मृत तर्फे वारिसान–
(अ) इन्द्रजीत पिता रामेश्वर
25– जगन्नाथ पिता नत्थू पाटीदार
26– ऊंकार पिता नत्थू पाटीदार
27– मनोहर पिता मेहताबसिंह राजपूत

28– नसीर खां पिता अमीर खां
29– गनी खां पिता अमीर खां मृत तर्फे वारिसान–
(अ) साबीर पिता गनी खां
30– हसीर खां पिता अमीर खां मृत तर्फे वारिसान–
(अ) आवेश खां पिता हसीर खां
31– शब्बीर खां पिता नजीर खां
32– आसिक खां पिता कालू खां
33– इकबाल
34– इद्रीस
35– सत्तार खां पिता सरजीत खां मृत तर्फे वारिसान–
(अ) मुश्तकीम खां पिता सत्तार खां
36– अलीबक्ष पिता गुलाब खां मृत तर्फे वारिसान–
(अ) नासिर खां पिता सत्तार खां
37– कालीबाई बेवा अब्दुल रज्जाक
38– नसरू मोहम्मद पिता अमीर मोहम्मद
39– अब्दुल समद पिता नबीबक्ष
40– शौकत खां पिता नजीर खां
41– बाबूसिंह पिता भीलुसिंह राजपूत
42– मानसिंह पिता जगन्नाथ राजपूत
43– नारायणसिंह पिता जगन्नाथ राजपूत
44– रंभाभुत मृत तर्फे वारिस–
(अ) रमेश पिता गंगाराम कोली
45– अहिल्या भवानी कोली मृत तर्फे वारिस–
(अ) शांतिलाल
46– भगवान पिता छीतु कोली
47– गणपतसिंह पिता पर्वतसिंह कोली
48– ऊंकार पिता पर्वत कोली
निवासी ग्राम साला
तहसील धरमपुरी जिला धार
49– विकास पिता ठाकुर लाल पाटीदार
50– श्रीमती आनन्दीबाई पति जगन्नाथ
सभी निवासी ग्राम पटलावद
तहसील धरमपुरी जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
मनावर धरमपुरी क्षेत्र जिला धार

2– तहसीलदार तहसील धरमपुरी जिला धार .....अनावेदकगण

श्री भरत मालवीय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मुंगी, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/10/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा कलेक्टर जिला धार को इस आशय का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 120/2/माफी/14 दिनांक 16–6–14 भेजा गया किया गया कि आयुक्त नियंत्रित श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर, संस्थान बेट, धरमपुरी जिला धार से संबंधित कृषि भूमियां वर्ष 2007–2008 में 50 वर्षों के लिए नीलामी द्वारा लीज पर आवंटित की गई हैं । जबकि म.प्र. शासन के आदेशानुसार देवस्थानी धार्मिक संस्थानों से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमि को तीन वर्ष से अधिक के लिए लीज पर नहीं दिया जा सकता है । अतः बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर, संस्थान बेट, धरमपुरी जिला धार से संबद्ध कृषि योग्य भूमि के ऐसे समस्त प्रकरण जो 50 वर्ष हेतु लीज पर दिये गये हैं, की जांच कर नियमानुसार उन्हें निरस्त कर शासन निर्देशानुसार कृषि कार्य हेतु उक्त भूमियों को नीलामी की कार्यवाही की जाये । उक्त निर्देश के पालन में कलेक्टर, धार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर जिला धार को पत्र लिखा जाकर तहसीलदार, धरमपुरी जिला धार को पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 16839/माफी/2014 दिनांक 15–10–2014 से निर्देशित किया गया कि बेट संस्थान से संबंधित ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें संस्थान की भूमि 50 वर्ष की लीज पर अवैधानिक तरीके से दी गई है, उन्हें संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन लिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर जिला धार से पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करें ।

उक्त पत्र के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 579/बी–121/2014–15 पंजीबद्ध कर पुनर्विलोकन की कार्यवाही प्रारंभ कर आदेशिका दिनांक 15–10–2014 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की चाही गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 01/पुनर्विलोकन/14–15 दर्ज कर आदेश दिनांक 16–10–2014 द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार, धरमपुरी द्वारा दिनांक 15–10–2014 को पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दूसरे दिन ही दिनांक 16–10–2014 को पुनर्विलोकन की अनुमति देने के साथ–साथ आवेदकगण की भूमियों को नीलाम किए जाने के आदेश भी पारित कर दिये गये हैं, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति के साथ–साथ आवेदकगण की भूमियों को नीलाम करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह अधिकारिता रहित है, क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय को केवल अधीनस्थ न्यायालय को पुनर्विलोकन की अनुमति देने अथवा नहीं देने की अधिकारिता है, अन्य कोई निर्देश देने की अधिकारिता नहीं है ।

(3) न्यायालय द्वारा केवल आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु इस प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पट्टे निरस्त करने की अनुमति चाही गई है, जिसे देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि पट्टा संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है ।

(4) तहसीलदार को अपने पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की अधिकारिता प्राप्त है, परन्तु पूर्व अधिकारी द्वारा दिये गये पट्टे को निरस्त करने की

अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है, क्योंकि पट्टा एक संविदा है एवं किसी संविदा को निरस्त करने का अधिकार संहिता में राजस्व न्यायालय को नहीं दिया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 76 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा कलेक्टर के पत्र दिनांक 15–10–2014 के परिप्रेक्ष्य में जिससे कलेक्टर द्वारा बेट संस्थान की संबंधित कृषि भूमियों को जिन व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया है, उन्हें निरस्त किए जाने के निर्देश दिये गये हैं । अतः तहसील न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है, जिसे देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियां बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर संस्थान बेट की भूमियां हैं, जिन्हैं तहसीलदार द्वारा 50 वर्षो के लिये पट्टे पर दे दिया गया है, जबकि नियमानुसार अधिकतम 3 वर्ष के लिये पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा 50 वर्ष के लिये भूमि पट्टे पर देने में विधि की गंभीर भूल की गई थी । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा दिये गये पट्टे प्रथम दृष्टया ही अवैध थे, जिन्हैं तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति ली जाकर, उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, दिनांक 10–11–2014 को अंतिम आदेश पारित करते हुये निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्यतः यह आधार प्रस्तुत किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और पुनर्विलोकन की अनुमति के साथ भूमि नीलामी के आदेश भी दे दिये गये हैं, जो इस स्तर पर विचारणीय नहीं है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं देना महत्वहीन हो गया है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण

की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मनावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2014 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर